"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 अप्रैल 2012—चैत्र 30, शक 1934

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-14/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम, 1975 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) सहपठित धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान पर विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, (कक्ष क्र. 308), मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 24 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"24 इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भूमि का प्रत्येक अन्तरण, पट्टे द्वारा या पूर्ण स्वामित्व हक के लिए विक्रय विलेख द्वारा किया जायेगा तथा प्राधिकारी भूमि के किसी भाग के संबंध में प्रत्येक ऐसा अन्तरण, या तो 30 वर्षों के लिये या 99 वर्षों के लिये या पूर्ण स्वामित्व हक पर होगा, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये साथ ही पट्टे अंतरण के संबंध में पट्टाकर्ता को नवीनीकरण का अधिकार होगा."

2. नियम 26 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"26 जब क्रेता लिखित में आवेदन द्वारा प्राधिकारी से पट्टे की कालावधि को 30 वर्ष से 99 वर्ष में या पूर्ण स्वामित्व हक पर संपरिवर्तित करने के लिये प्रार्थना करे तो भूमि का अन्तरण या तो 99 वर्ष के पट्टे या पूर्ण स्वामित्व हक पर ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर कर सकेगा, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 3-14/2011/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम, 1975 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-04-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

Raipur, the 19th April 2012

NOTIFICATION

No. F 3-14/2011/32.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Vikasit Bhoomiyo, Griho, Bhavano Tatha Anya Sanrachanao Ka Vyayan Niyam, 1975, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours, which is received by the Office of the Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Housing and Environment, (Room No. 308), Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. For rule 24, the following rule shall be substituted, namely :—

"24. Subject to provision of these rules, every transfer of land shall be made by lease or sale deed for free hold ownership and every such transfer in respect of any piece of Authority land shall be either for 30 years or 99 years or freehold ownership as may be determined by the Authority with the right of renewal to the lesser in the case of a lease transfer."

2. For rules 26, the following rule shall be substituted, namely :—

"26. Where the purchaser by an application in writing requests the Authority to convert the period of lease from 30 years to 99 years or to free hold ownership, transfer of land may be made either for 99 years lease or to free hold ownership on such terms and conditions as may be determined by the Authority from time to time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. S. BAJAJ, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.